न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–323/2015 (2015/00060)75/सरवाड़

1.अशोक कुमार पुत्र पारसमल जाति जैन निवासी अजगरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. काना पुत्र हरजी (मृतक)
2. श्रीमती सायरी पत्नि काना समस्त जाति माली निवासी अजगरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर ।
3. आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी, कैम्प अरांई तहसील सरवाड़ जिला अजमेर ।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, अजमेर आदेश दिनांक 22.07.2009, प्रकरण संख्या 1791/2006.

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिह राठौड़ एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री बी.एल.शर्मा एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।
3. श्री धर्मवीर चौधरी , राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 27.6.2019

01. अपीलांट ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 22.07.2009, प्रकरण संख्या 1791/2006 से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अजगरा स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 939 रकबा 5 बीघा पर अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उक्त भूमि अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि के लगवा अवस्थित एवं मौके पर पुश्तैनी भूमि तथा विवादित भूमि एक ही खेत के रूप में विद्यमान है। जिससे उक्त आराजीयात अपीलांट को नियमन की जाना न्यायोचित थी लेकिन गैर कानूनी रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 02 जो दोनो पति पत्नि है को गैर कानूनी रूप से दिनांक 26.06.2002 को कैम्प अंराई में आवंटन कर दी गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम 1970 के तहत् प्रार्थना पत्र संख्या 1791/2006 प्रस्तुत किया। जिस पर जिला कलक्टर, अजमेर ने उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 22.07.2009 को खारिज कर दिया। जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 22.07.2009 से असुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए किन्तु दौराने बहस अपील उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी।

04. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात बाबत् आवंटन/नियमन करनें हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो वरबक्त बहस राजकीय अभिभाषक द्वारा स्वंय स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पत्र निर्णित किए बिना रेस्पोडेन्ट को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट ने विवादित भूमि पर गत 10 वर्षो से काश्त नहीं की है इसलिए उनके हक में पारित आवंटन स्वतः प्रभावहीन/शून्य हो चुका है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित था। आवंटन दिनांक 26.06.2002 को पारित करने के आद आज दिनांक रेस्पोडेन्ट को राजस्व एजेन्सी द्वारा कानूनन कब्जा भी सुपुर्द नहीं किया गया है ना ही तरमीम की गई इसी कारण आवंटन आदेश की पालना में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 641 दिनांक 13.08.2002 का नोट आधार जमाबंदी में भी मात्र गैर खातेदारी हक से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है। आवंटन आदेश की पालना नहीं किये जाने से आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2009 एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.06.2002 बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से02 बाबत् खसरा नम्बर 939 रकबा 5 बीघा स्थित ग्राम अजगरा तहसील सरवाड़ को निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजीयात अपीलांट को नियमन/आवंटन करने का आदेश प्रदान करावे।

05. विद्धान अभिभाषक अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 22.07.2009 को निर्णित हो चुका था जिसकी जानकारी कर आदेश की नकल हेतु दिनांक 05.08.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 07.08.2015 को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात प्रार्थी ने केकड़ी अपने अभिभाषक से कानूनी राय ली तत्पश्चात दिनांक 12.08.2015 को अजमेर आकर अभिभाषक से मिला जिन्होने दिनांक 13.08.2015 को अपील तैयार करवाई और आज जानकारी से अन्दर मियाद सेवा में प्रस्तुत है। गुणावगुण पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील प्रस्तुति में लगा समय क्षमा फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

08. हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4)कृषि प्रयोनार्थ भू– आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत किया है जिसकी जानकारी आवश्यक रूप से उनको होगी। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत करने का संतोषजनक कारण नही है। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा आर.आर.टी.2015(1) पेज 232 में यह प्रतिपादित है कि "**Law of limitation is not a formality. Deley cannot be condoned when the party himself was not vigilant.**"। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संतोष जनक एवं युक्तियुक्त आधार नहीं बताया है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

09. अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम को खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम खारिज होने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

10. आदेश आज दिनाक 27/6/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर